

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी- विकास मोहन भाटी, R.A.S.  
राजस्व वाद संख्या 03/2025 दायर दिनांक 02.01.2025

### वादी

रतनी देवी पत्नी थानाराम  
जाति जाट निवासी धीजपुरा  
तहसील जायल जिला नागौर  
राज0।

### प्रतिवादीगण

- 1 उषा कवर पुत्री शिव सिंह
- 2 कृष्ण सिंह पुत्रि गोविन्द सिंह
- 3 कानसिंह पुत्र तिलोक सिंह
- 4 चन कवर पत्नी शिव सिंह समस्त जाति  
राजपूत निवासीगण खाटुखुर्द जिला  
डीडवाना-कुचामन राज0।
- 5 चन सिंह पुत्र धन सिंह जाति राजपूत निवासी  
कोनियाडा तहसील छोटी खाटु जिला  
डीडवाना-कुचामन राज0।
- 6 ज्योति कवर पुत्री गोविन्द सिंह
- 7 धापु कवर पत्नी तिलोक सिंह
- 8 प्रकाश कवर पुत्री तिलोक सिंह
- 9 भवानी सिंह पुत्र शिव सिंह
- 10 राजवीर सिंह पुत्र शिव सिंह(प्रतिवादी सं0 9 व  
10 नायालिंग जरिये प्राकृतिक संरक्षक )  
जातिगण राजपूत निवासीगण छोटी खाटु जिला  
डीडवाना- कुचामन राज0।
- 11 मांती खा पुत्र नानू खां जाति शेरानी निवासी  
बडी खाटु तहसील जायल जिला डीडवाना-  
कुचामन राज0।
- 12 मा0 अशरफ पुत्र इब्राहिम खां जाति शेरानी  
निवासी शेरानी आवाद तहसील छोटी खाटु
- 13 मा0 आरिफ पुत्र सिल्मुदीन जाति शेरानी  
निवासी शेरानीपुरा, बरनेल तहसील जायल
- 14 विजेन्द्र सिंह पुत्र तिलोकसिंह
- 15 शकर सिंह पुत्र नाहर सिंह
- 16 शिम्भुसिंह पुत्र नाहर सिंह
- 17 जितन्द्र सिंह पुत्र लखु सिंह
- 18 लादुसिंह पुत्र लखु सिंह
- 19 मनोहर कवर पुत्री लखुसिंह
- 20 सुगन कवर पत्नी लखु सिंह
- 21 अशोक सिंह पुत्र सदा कवर
- 22 जीवराज सिंह पुत्र सदा कवर समस्त जाति  
राजपूत निवासीगण खाटुखुर्द तहसील छोटी  
खाटु जिल डीडवाना-कुचामन राज0।
- 23 श्रीमान् तहसीलदार, छोटी खाटू।

### बनाम्

### दावा बाबत

बंटवाडा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा- 88,188 R.T.Act. 136 L.R.Act.

### उपस्थित-

1. श्री मा0 शरीफ शेरानी वकील वादी।
2. श्री युनुस सलीम वकील प्रतिवादी संख्या 4, 7, 9 ता 12, 14 ता 22।

*in*

उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना



--: अन्तिम निर्णय :-

दिनांक 13.10.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि मौजा खाटुखुर्द, पटवार हल्का खाटुखुर्द के खेत खसरा नम्बर 526 रकबा 1.0000 हैक्टेयर बारानी उत्तम, खसरा संख्या 527 रकबा 0.1000 है गै.मु.सडक, खसरा संख्या 522 रकबा 2.0000 है बारानी उत्तम, खसरा संख्या 523 रकबा 0.1200 है गै.मु.सडक में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन प्रस्तावित करने बावत् दिनांक 14.05.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार छोटीखाटू को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार छोटी खाटू ने अपने पत्रांक 1140 दिनांक 03.07.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया, जो कि अस्पष्ट होने से विभाजन प्रस्ताव पुनः तलब किया गया। तहसीलदार छोटी खाटू ने अपने पत्रांक 1587 दिनांक 25.09.2025 के द्वारा पुनः विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटी खाटू द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान् बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटी खाटू सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार छोटी खाटू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक 1587 दिनांक 25.09.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

--: आदेश :-

राजसव ग्राम खाटुखुर्द, पटवार हल्का खाटुखुर्द के खेत खसरा नम्बर 526 रकबा 1.0000 हैक्टेयर बारानी उत्तम, खसरा संख्या 527 रकबा 0.1000 है गै.मु.सडक, खसरा संख्या 522 रकबा 2.0000 है बारानी उत्तम, खसरा संख्या 523 रकबा 0.1200 है गै.मु.सडक भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटी खाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक 1587 दिनांक 25.09.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार छोटी खाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक 1587 दिनांक 25.09.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुरार राजसव रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

*WKS*

(विकास मोहन साठीका A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को सारे इजलास में सुनाया गया।

*WKS*

(विकास मोहन साठीका A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना